

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख व नम्बर अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी

C/No. 71/2022 रामेश्वर व रामस्वरूप

07/8/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वकील प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा एक पत्र अन्तर्गत अधिसूचना 23 नियम 01 अ.प.सं. पेश कर निवेदन किया कि वाद में सहचर से सम्पूनी भूमि खातों का विवरण नहीं आ सया है तथा प्रतिवादी संख्या 01 को उदा पुत्ररागलाल ने कमी में दस्तक नहीं लिप है अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वाद आखण कर नवीन वाद संख्या के कारण अधिकार उदर किने जाने की इया करवें।

वकील प्रतिवादी द्वारा उक्त पत्रावली पर अन्तर्गत अधिसूचना 23 नियम 01 अ.प.सं. स्वीकार किया जा रहा है तथा वादी का वाद इली स्वर पर सुल्पाहारित कर वादी को नवीन वाद संख्या करने की अनुमति उपान की जाती है। पत्रावली पेशल शुभारंभक नम्बर से कम है।

[Signature]
उपस्थित अधिकारी
अंशद (अजमेर)

तारीख व नम्बर अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


तारीख व नम्बर अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी

C/NO. 74/2022 आवाज रामेश्वर V/S रामसुब्रह्मण्य

04/8/2022

पत्रावली पेश हुई वकील आर्मी व अपाणी 347/ वकील आर्मी द्वारा एक जाणपत्र अन्तर्गत आदेश 28 नियम 01 व्य.प. सं. पेश किया जो शामिल किया / वकील आर्मी ने अप्रीमा पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 व्य.प. सं. के लाने को पेश करते हुये मिर्चन किया कि जा.पत्र में सहन से सम्पूर्ण भूमिखतों का विवरण नहीं आसपा है तथा उतिवाही म.01 को उदा पुत्रराजलाल ने कमी की इतक नहीं किया है अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अप्रीमा पत्र को आखिर कर नवीन जा.पत्र संरक्षण करने की अनुमति प्रदान करें।

वकील अपाणी द्वारा उक्त जा.पत्र पर अनापत्ति पत्र की गई अतः वकील आर्मी की वध को आधार पर आर्मी का अप्रीमा पत्र अन्तर्गत आदेश 28 नियम 01 व्य.प. सं. स्वीकार किया जा रहा है तथा आर्मी का अप्रीमा पत्र इसी स्तर पर उत्पादित कर आर्मी को नवीन जाणपत्र पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली पेश करने के लिए नम्बर 74/2022


 जज
 अदालत